भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3421

जिसका उत्तर 20 मार्च 2025 को दिया जाना है।

.....

महाराष्ट्र में जल संरक्षण परियोजनाएं

3421. एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1979 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित नर्मदा जल न्यायाधिकरण पंचाट के अनुसार सरदार सरोवर बांध से महाराष्ट्र को कितनी जल की मात्रा आवंटित की गई है;

(ख) क्या सरकार धड़गांव और अक्कलकुवा तहसीलों में लघु सिंचाई परियोजनाओं को लागू करने के लिए कोई कदम उठा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में नर्मदा नदी के जल का उपयोग कर जल संरक्षण परियोजनाएं शुरू की हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण पंचाट के अनुसार, 75 प्रतिशत डिपेन्डबल ईयर आधार पर सरदार सरोवर बांध स्थल पर आंकलित 28 मिलीयन एकड़ फीट जल में से महाराष्ट्र सरकार को 0.25 मिलीयन एकड़ फीट (308.37 मिलीयन क्यूबीक मीटर) जल आबंटित किया गया था।

(ख) और (ग): धड़गांव और अक्कलकुवा तहसीलों के लघु सिंचाई कार्यों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

ताल्लुक धड़गांव

लघु सिंचाई टैंक			
विभाग	**संख्या**	**भंडारण क्षमता (एमसीएम)**	**सिंचाई क्षमता (हेक्टेयर)**
जल संरक्षण विभाग	1	0.88	105

परकोलेशन टैंक			
विभाग	**संख्या**	**भंडारण क्षमता (एमसीएम)**	**सिंचाई क्षमता (हेक्टेयर)**
जल संरक्षण विभाग	6	0.87	70.35
जिला परिषद्	3	1.029	218.00
जल संसाधन विभाग	115	21.398	4490.00
कुल	**124**	**23.297**	**4778.35**

ताल्लुक अक्कलकुवा

मध्यम परियोजना			
विभाग	**संख्या**	**भंडारण क्षमता (एमसीएम)**	**सिंचाई क्षमता (हेक्टेयर)**
जल संसाधन विभाग	1	19.08	3481
लघु सिंचाई टैंक			
विभाग	**संख्या**	**भंडारण क्षमता (एमसीएम)**	**सिंचाई क्षमता (हेक्टेयर)**
जल संसाधन विभाग	1	2.79	362
	1	2.996	516
कुल	**2**	**5.786**	**878**
परकोलेशन टैंक			
विभाग	**संख्या**	**भंडारण क्षमता (एमसीएम)**	**सिंचाई क्षमता (हेक्टेयर)**
जल संरक्षण विभाग	7	1.39	338
जिला परिषद्	5	0.52	110
जल संसाधन विभाग	29	7.1657	1494.30
कुल	**41**	**9.0757**	**1942.30**

डब्ल्यूसीडी:- जल संरक्षण विभाग

जेडपी:- जिला परिषद

डब्ल्यूआरडी:- जल संसाधन विभाग

(घ): सरदार सरोवर परियोजना एक अंतरराज्यीय, बहुउद्देशीय परियोजना है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और राजस्थान राज्य शामिल है। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण पंचाट के अनुसार, महाराष्ट्र का हिस्सा 10.89 टीएमसी है।

महाराष्ट्र सरकार और गुजरात सरकार के बीच दिनांक 07.01.2015 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौता ज्ञापन के अनुसार:

- गुजरात सरकार द्वारा गुजरात के तापी जिला में उकाई परियोजना से महाराष्ट्र सरकार को 5 टीएमसी जल उपलब्ध करवाया जायेगा।
- गुजरात सरकार द्वारा महाराष्ट्र के शेयर से नर्मदा बेसिन से 5 टीएमसी जल का उपयोग किया जाएगा।

तदनुसार, महाराष्ट्र के 10.89 टीएमसी हिस्से का प्रस्तावित उपयोग का ब्यौरा निम्नानुसार है:

- महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र के नंदूरबार जिला में उकाई परियोजना से लिफ्ट सिंचाई योजना के माध्यम से 5 टीएमसी (141.46 एमसीएम) जल का उपयोग किया जायेगा।
- नंदूरबार जिला के तापी बेसिन में नर्मदा-तापी डायवर्जन योजना के माध्यम से 5.59 टीएमसी (158.29 एमसीएम) जल का उपयोग किया जायेगा।
- महाराष्ट्र के नर्मदा बेसिन में लिफ्ट सिंचाई योजना और पेयजल योजना के लिए शेष 0.03 टीएमसी (8.49 एमसीएम) जल का उपयोग किया जायेगा।

*****